



प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2026
विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर में स्वीकृत निर्माण संबंधी कार्यो हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/506502/2026/UPDTE/242/2025, दिनांक 16.03.2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जिला योजनान्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर में संस्थान में मीटिंग हॉल, पार्किंग सहित गेस्ट हाउस कार्य हेतु शासनादेश संख्या-71/आई/922610/001-89-1002(002)/5/2024, दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा 563.69 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि ₹0 247.07 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर में स्वीकृत निर्माण संबंधी कार्यो हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2025 एवं उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा चुकी धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार अवशेष धनराशि **रूपये 316.62 लाख (रूपये तीन करोड़ सोलह लाख बासठ हजार मात्र)** को स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

धनराशि रूपये लाख में						
क्र० सं०	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम व जनपद	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर	संस्थान में मीटिंग हॉल, पार्किंग सहित गेस्ट हाउस का कार्य	563.69	247.07	316.62	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) व्यय होने वाले सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,16,62,000 (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 069 लेखा शीर्षक 4250002030500 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।
 - 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
 - 6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 - 7- प्रबन्ध निदेशक, संबंधित कार्यदायी संस्था।
 - 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 9- संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (द्वारा निदेशक)।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।